रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 5 जुलाई, 2005/14 आषाढ़, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 जुलाई, 2005

संख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-20/2005-लेज.— हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 2-7-2005 को प्रख्यापित

1235-राजपत्र/2005-5-7-2005—1,516. मूल्य : एक रुपया।

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का अध्यादेश संख्यांक 6) को संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

2005 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 6.

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2005

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 15) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2005 है ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में विद्यमान खण्ड (द) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (दद) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1994 का 12. 1924 का 2 1977 का 12.

"(दद) "नगरीय क्षेत्र" से नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 3 के अधीन गठित नगरपालिका की परिसीमाओं के भीतर आने वाला कोई क्षेत्र या छावनी अधिनियम, 1924 के अधीन स्थापित छावनी बोर्ड या हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 67 के अधीन गठित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ;" ।

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3) जहां वृत्ति, व्यापार या आजीविका से किसी व्यक्ति की आय मासिक आधार से अन्यथा हो रही है वहां इस अधिनियम के अधीन कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के प्रयोजन के लिए वर्ष के दौरान सकल आय मासिक आय के परिनिर्धारण के लिए 12 से विभाजित की जाएगी ।" ।

धारा 8 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 में विद्यमान उपबन्धों को उप-धारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा (2) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी कोई भी व्यक्ति किसी

भी वर्ष के लिए या उसकी किसी भी तिमाही के लिए कर के अग्रिम संदाय के लिए विकल्प दे सकेगा और कर के ऐसे अग्रिम संदाय के पश्चात्, यथास्थिति, वर्ष या तिमाही के प्रारम्भ के तीस दिन के भीतर वह वर्ष के लिए अग्रिम में संदत्त कर की रकम पर पन्द्रह प्रतिशत रिबेट और तिमाही के लिए अग्रिम में संदत्त कर की रकम पर दस प्रतिशत रिबेट के लिए हकदार होगा तथा कटौती और नियोजक द्वारा कर के संदाय और अन्य व्यक्तियों द्वारा कर के संदाय से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्ध तदनुसार इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए लागू होंगे।" ।

विष्णू सदाशिव कोकजे,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश ।

सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

शिमला.....

तारीख.....

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 6 of 2005.

THE HIMACHAL PRADESH TAX OF PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS (AMENDMENT) ORDINANCE, 2005

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India.

An Ordinance to amend the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005 (Act No. 15 of 2005).

Whereas the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title.

1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments (Amendment) Ordinance, 2005.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), after existing clause (*r*), the following clause (*rr*) shall be inserted, namely :—

"(*rr*) "urban area" means any area falling within the limits of a municipality constituted under section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 or a Cantonment Board established under the Cantonment Act, 1924, or Special Area Development Authority constituted under section 67 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977;".

12 of 1994
2 of 1924
12 of 1977

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act, after sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely :—

"(3) Where the income of any person, from the profession, trade or calling, is accruing other than on monthly basis, the gross income during a year shall be divided by twelve to arrive at the monthly income for the purpose of levy and collection of tax under this Act.".

Amendment of section 8.

4. In section 8 of the principal Act, the existing provisions shall be re-numbered as sub-section (1) and thereafter the following sub-section (2) shall be inserted, namely :—

"(2) Notwithstanding anything contained in this Act, any person liable to pay tax under this Act may opt for advance

payment of tax for any year or for any quarter thereof, and after such advance payment of tax within thirty days of the commencement of the year or the quarter, as the case may be, he shall be entitled to 15 per cent rebate on the amount of tax paid in advance for the year and 10 per cent rebate on the amount of tax paid in advance for the quarter, as the case may be, and the provisions of this Act relating to deduction and payment of tax by the employer and payment of tax by other persons shall apply accordingly for the purposes of this sub-section.".

Amendment of section 31.

5. In section 31 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "inconsistent", the word "consistent" shall be substituted.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हि० प्र०, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।